

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-04, फिरोजाबाद

एस०एस०टी० संख्या- 1747/2023

(CNR No.-UPFD01-006766-2023)

सरकार

बनाम

सुधीर

अपराध सं०- 3069/2020

धारा- 135 विद्युत अधिनियम,

थाना- एंटी पावर थेफ्ट,

जिला- फिरोजाबाद।

दिनांक: 13-09-2025

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त तथा विद्युत विभाग के पैनल विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसने राजस्व तथा शमन शुल्क को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है तथा विद्युत विभाग द्वारा मामले का शमन कर दिया गया है।

विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा स्वीकार किया गया कि अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण धनराशि व शमन शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों तथा विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत मामले में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(साक्षी शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-4, फिरोजाबाद।